14746/13

Ranjul Srivastava
Branch Manager

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP00109004727519L**
Certificate Issued Date	:	29-Jul-2013 05:10 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01001111186739164L
Purchased by	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO
Consideration Price (Rs.)	:	26,07,50,043 (Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)
First Party	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,33,75,000 (Two Crore Thirty Three Lakh Seventy Five Thousand only)

----------Please write or type below this line----------

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

LOCKED SRO-I LUCKNOW

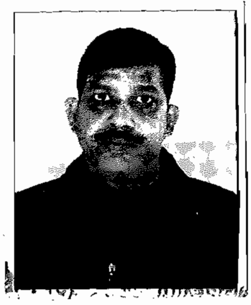

For Ansal ... Ltd.

AUTHORISED SIGNATORY

0000000197

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मालियत	–	33,38,80,000/–
स्टाम्प	–	2,33,75,000/–
परगना	–	बिजनौर

पट्टा– विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई माह के ......30...... वें दिन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन 16, कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फर्स्ट फ्लोर, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर "पटटेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

1. चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद–भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश 6087/9–आ–1–2003–34वि0/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतद्पश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम–देवामऊ परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2.647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम–युसुफनगर बगियामउ परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13.906 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम–निजामपुर मझिगंवा परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम– मुजफ्फरनगर घुसवल परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27.805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम–हसनपुर खेवली परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम–हरिहरपुर परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5.479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68.405 (अडसठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1345/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1951) की धारा–117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुनर्ग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

(ए0पी0 तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd
Authorised Signator

अतः शासनादेश संख्या–प्र0स0 474/एक–1–2008–5–1(48)/2008–78 दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओ तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतद्पश्चात "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये है।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रू0–26,02,37,002/– (छब्बीस करोड दो लाख सैंतीस हजार दो रूपये) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं0–जी0–100065, जी0–100057, जी0–100058, जी0–100066, जी0–090047, जी0–100060, जी0–100052, जी0–100067, जी0–100059, जी0–100064, जी0–100056, जी0–100063, जी0–100055 क्रमशः दिनांक–11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई0 के जुलाई माह के 30...वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तो पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर–लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय–समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

<u>और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :–</u>

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षो के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30–30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(एल0 पी0 तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signator

8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र की दर से रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात क्रमशः दिनांक–11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, को क्रमशः चालान संख्या–जी0–100057, जी0–100058, जी0–090047, जी0–100052, जी0–100059, जी0–100056, जी0–100055 द्वारा भारतीय स्टेट बैक, बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।
9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नही जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहां दी गयी अवधि में हस्तान्तरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तानान्तरण के दिनांक से एक पंचाग मास के भीतर उक्त हस्तान्तरण की सूचना जिलाधिकारी लखनऊ को देगा, जिसमे ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्योरे होगें तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तानान्तरण पर पड़ता हो देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07 (सात) दिन रहेंगें तथा एतद्द्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्ड स्वरूप रूपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।
14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को हटाकर भूमि पट्टादाता को बिल्कुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तानान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तो के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिल्कुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगें।

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd
Authorised Signatory

यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टदाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को कय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नही किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय–समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षो की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हो और पट्टादाता कोई ऐसे नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्ही प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का समावेश होगा जो उस समय लागू होगें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तानान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनो पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि :–

(क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

(ख) उक्त भूमि के हस्तानान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तो के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

(घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

4. भूमि का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/ गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	देवामऊ	7	0.018	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास

(ए0 पी0 तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd

Authorised Signatory

निबन्ध

							प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					11	0.464	
3					17	0.403	
4					21	0.018	
5					25	0.014	
6					40	0.020	
7					45	0.069	
8					49	0.010	
9					56	0.009	
10					61	0.015	
11					64	0.006	
12					68	0.012	
13					69	0.032	
14					71	0.013	
15					75	0.026	
16					76	0.011	
17					79	0.011	
18					83	0.010	
19					91	0.057	
20					91	0.057	
21					93	0.017	
22					105	0.183	
23					117	0.087	
24					118	0.013	
25					122	0.187	
26					24/246	0.885	
				कुल योग	**26 गाटा**	**2.647**	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ	46	2.296	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					75	0.039	उपरोक्तानुसार
3					79	0.008	उपरोक्तानुसार
4					85	0.030	उपरोक्तानुसार
5					88	0.044	उपरोक्तानुसार
6					93	0.005	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Authorised Signatory

7					96	0.038	उपरोक्तानुसार
8					101	0.266	उपरोक्तानुसार
9					106	0.033	उपरोक्तानुसार
10					116	0.038	उपरोक्तानुसार
11					121	0.126	उपरोक्तानुसार
12					122	0.014	उपरोक्तानुसार
13					126	0.163	उपरोक्तानुसार
14					129	0.017	उपरोक्तानुसार
15					130	0.040	उपरोक्तानुसार
16					135	0.063	उपरोक्तानुसार
17					139	0.014	उपरोक्तानुसार
18					141	0.041	उपरोक्तानुसार
19					151	0.512	उपरोक्तानुसार
20					156	0.076	उपरोक्तानुसार
21					158	0.019	उपरोक्तानुसार
22					159	0.218	उपरोक्तानुसार
23					162	0.126	उपरोक्तानुसार
24					163	0.076	उपरोक्तानुसार
25					164	0.039	उपरोक्तानुसार
26					167	0.031	उपरोक्तानुसार
27					171	0.190	उपरोक्तानुसार
28					178	0.008	उपरोक्तानुसार
29					182	0.099	उपरोक्तानुसार
30					189	0.126	उपरोक्तानुसार
31					192	0.023	उपरोक्तानुसार
32					215	0.013	उपरोक्तानुसार
33					218	0.231	उपरोक्तानुसार
34					221	0.027	उपरोक्तानुसार
35					224	0.155	उपरोक्तानुसार
37					241	0.075	उपरोक्तानुसार
38					242	0.215	उपरोक्तानुसार
39					243	0.066	उपरोक्तानुसार
40					244	0.139	उपरोक्तानुसार
41					250	0.063	उपरोक्तानुसार
42					252	0.051	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

43					254	0.152	उपरोक्तानुसार
44					260 स	1.468	उपरोक्तानुसार
45					261	0.051	उपरोक्तानुसार
46					275	0.025	उपरोक्तानुसार
47					282	0.028	उपरोक्तानुसार
48					286	0.006	उपरोक्तानुसार
49					288	0.013	उपरोक्तानुसार
50					290	0.033	उपरोक्तानुसार
51					297	0.304	उपरोक्तानुसार
52					299	0.114	उपरोक्तानुसार
53					300	0.076	उपरोक्तानुसार
54					300	0.303	उपरोक्तानुसार
55					303	0.253	उपरोक्तानुसार
56					316	0.366	उपरोक्तानुसार
57					325	0.025	उपरोक्तानुसार
58					326	0.940	उपरोक्तानुसार
59					335	0.019	उपरोक्तानुसार
60					337	0.017	उपरोक्तानुसार
61					342	0.190	उपरोक्तानुसार
62					347	0.051	उपरोक्तानुसार
63					360	1.000	
64					361	0.266	उपरोक्तानुसार
65					364	0.017	उपरोक्तानुसार
66					365 स	0.053	उपरोक्तानुसार
67					365 स	0.035	उपरोक्तानुसार
68					367	0.126	उपरोक्तानुसार
69					369	0.040	उपरोक्तानुसार
70					370	0.048	उपरोक्तानुसार
71					372	0.405	उपरोक्तानुसार
72					373	0.536	उपरोक्तानुसार
73					374	0.242	उपरोक्तानुसार
74					379	0.062	उपरोक्तानुसार
75					382	0.784	उपरोक्तानुसार
76					168/387	0.005	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	75 गाटा	**13.906**	

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

निबन्ध

1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	निजामपुर मझिगवां	3	0.065	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					7	0.017	उपरोक्तानुसार
3					11	0.024	उपरोक्तानुसार
4					14	0.079	उपरोक्तानुसार
5					20	0.102	उपरोक्तानुसार
6					25	0.017	उपरोक्तानुसार
7					28	0.012	उपरोक्तानुसार
8					32	0.022	उपरोक्तानुसार
9					34	0.051	उपरोक्तानुसार
10					35	0.089	उपरोक्तानुसार
11					36	0.266	उपरोक्तानुसार
12					40	0.029	उपरोक्तानुसार
13					44	0.022	उपरोक्तानुसार
14					45	0.047	उपरोक्तानुसार
15					48	0.017	उपरोक्तानुसार
16					53	0.017	उपरोक्तानुसार
17					56	0.172	उपरोक्तानुसार
18					64	0.177	उपरोक्तानुसार
19					65	0.082	उपरोक्तानुसार
20					69	0.073	उपरोक्तानुसार
21					77	0.023	उपरोक्तानुसार
22					79	0.008	उपरोक्तानुसार
23					84	0.658	उपरोक्तानुसार
24					91	0.022	उपरोक्तानुसार
25					92	0.025	उपरोक्तानुसार
26					93	0.028	उपरोक्तानुसार
27					96	0.013	उपरोक्तानुसार
28					99	0.079	उपरोक्तानुसार
29					101	0.014	उपरोक्तानुसार
30					103	0.253	उपरोक्तानुसार
31					106	0.027	उपरोक्तानुसार
32					109	0.013	उपरोक्तानुसार
33					110	0.936	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

34					112	0.174	उपरोक्तानुसार
35					117	0.023	उपरोक्तानुसार
36					118	0.923	उपरोक्तानुसार
37					120	0.253	उपरोक्तानुसार
38					123 पी	0.588	उपरोक्तानुसार
39					132	0.089	उपरोक्तानुसार
40					135	0.023	उपरोक्तानुसार
41					138	0.190	उपरोक्तानुसार
42					142	0.008	उपरोक्तानुसार
43					146	0.011	उपरोक्तानुसार
44					150 पी	0.076	उपरोक्तानुसार
45					150 पी	0.057	उपरोक्तानुसार
46					157	0.042	उपरोक्तानुसार
47					163	0.020	उपरोक्तानुसार
48					166	0.029	उपरोक्तानुसार
49					169	0.011	उपरोक्तानुसार
50					173	0.040	उपरोक्तानुसार
51					176	0.304	उपरोक्तानुसार
52					183	0.392	उपरोक्तानुसार
53					184	1.049	उपरोक्तानुसार
54					188	0.023	उपरोक्तानुसार
55					191	0.017	उपरोक्तानुसार
56					193	0.102	उपरोक्तानुसार
57					202	0.043	उपरोक्तानुसार
58					223	0.354	उपरोक्तानुसार
59					231	0.010	उपरोक्तानुसार
60					235	0.095	उपरोक्तानुसार
61					252	0.019	उपरोक्तानुसार
62					255	0.102	उपरोक्तानुसार
63					262	0.063	उपरोक्तानुसार
64					264	0.114	उपरोक्तानुसार
65					271	0.072	उपरोक्तानुसार
66					274	0.022	उपरोक्तानुसार
67					275	0.076	उपरोक्तानुसार
68					279	0.042	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd

Authorised Signator

69					292	0.053	उपरोक्तानुसार
70					298	0.063	उपरोक्तानुसार
71					301	0.020	उपरोक्तानुसार
72					306	0.081	उपरोक्तानुसार
73					213/496	0.016	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	73 गाटा	**9.218**	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	मुजफ्फर नगर घुसवल	5	0.002	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					9	3.642	उपरोक्तानुसार
3					12 स	0.114	उपरोक्तानुसार
4					14	0.190	उपरोक्तानुसार
5					15	0.506	उपरोक्तानुसार
6					23	0.023	उपरोक्तानुसार
7					29	0.025	उपरोक्तानुसार
8					42	0.012	उपरोक्तानुसार
9					43	0.036	उपरोक्तानुसार
10					47	0.036	उपरोक्तानुसार
11					54 स	0.074	उपरोक्तानुसार
12					54 स	0.006	उपरोक्तानुसार
13					58 स	0.696	उपरोक्तानुसार
14					59	0.822	उपरोक्तानुसार
15					60	0.645	उपरोक्तानुसार
16					67	0.008	उपरोक्तानुसार
17					72	0.003	उपरोक्तानुसार
18					77	0.126	उपरोक्तानुसार
19					82	0.051	उपरोक्तानुसार
20					88	0.063	उपरोक्तानुसार
21					93	0.102	उपरोक्तानुसार
22					110	0.036	उपरोक्तानुसार
23					111	0.079	उपरोक्तानुसार
24					119	0.021	उपरोक्तानुसार
25					122	0.011	उपरोक्तानुसार
26					126	0.077	उपरोक्तानुसार
27					129	0.036	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

28					148	0.042	उपरोक्तानुसार
29					152	0.051	उपरोक्तानुसार
30					153	0.143	उपरोक्तानुसार
31					158	0.017	उपरोक्तानुसार
32					162	0.052	उपरोक्तानुसार
33					163	0.025	उपरोक्तानुसार
34					167	0.029	उपरोक्तानुसार
35					168	0.031	उपरोक्तानुसार
36					174	0.008	उपरोक्तानुसार
37					179	0.164	उपरोक्तानुसार
38					180 स	0.063	उपरोक्तानुसार
39					182	0.164	उपरोक्तानुसार
40					191	0.033	उपरोक्तानुसार
41					196	0.017	उपरोक्तानुसार
42					201	0.010	उपरोक्तानुसार
43					203	0.063	उपरोक्तानुसार
44					207	0.079	उपरोक्तानुसार
45					209	0.022	उपरोक्तानुसार
46					211	0.038	उपरोक्तानुसार
47					218 स	0.607	उपरोक्तानुसार
48					230	0.607	उपरोक्तानुसार
49					231 स	0.253	उपरोक्तानुसार
50					241	0.281	उपरोक्तानुसार
51					243	0.032	उपरोक्तानुसार
52					256	0.022	उपरोक्तानुसार
53					258	0.077	उपरोक्तानुसार
54					259	0.004	उपरोक्तानुसार
55					270	0.059	उपरोक्तानुसार
56					272	0.031	उपरोक्तानुसार
57					276	0.139	उपरोक्तानुसार
58					277	0.026	उपरोक्तानुसार
59					279	0.076	उपरोक्तानुसार
60					288	0.038	उपरोक्तानुसार
61					290	0.063	उपरोक्तानुसार
62					306	1.085	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signator

63					308 स	1.426	उपरोक्तानुसार
64					310 स	0.964	उपरोक्तानुसार
65					310 स	0.200	उपरोक्तानुसार
66					319	0.002	उपरोक्तानुसार
67					323	0.014	उपरोक्तानुसार
68					324	0.078	उपरोक्तानुसार
69					332	0.007	उपरोक्तानुसार
70					340	0.006	उपरोक्तानुसार
71					341	0.022	उपरोक्तानुसार
72					348	0.012	उपरोक्तानुसार
73					349	0.006	उपरोक्तानुसार
74					354	0.004	उपरोक्तानुसार
75					356 स	0.579	उपरोक्तानुसार
76					365	0.038	उपरोक्तानुसार
77					366	0.025	उपरोक्तानुसार
78					371	0.016	उपरोक्तानुसार
79					382	0.012	उपरोक्तानुसार
80					384	0.006	उपरोक्तानुसार
81					386	0.042	उपरोक्तानुसार
82					395	0.010	उपरोक्तानुसार
83					416 स	2.339	उपरोक्तानुसार
84					417	4.552	उपरोक्तानुसार
85					444 स	0.022	उपरोक्तानुसार
86					444 स	0.029	उपरोक्तानुसार
87					446	0.016	उपरोक्तानुसार
88					448	0.010	उपरोक्तानुसार
89					451	0.013	उपरोक्तानुसार
90					453	0.020	उपरोक्तानुसार
91					456	0.582	उपरोक्तानुसार
92					463	0.016	उपरोक्तानुसार
93					467	0.025	उपरोक्तानुसार
94					477	0.013	उपरोक्तानुसार
95					478	0.019	उपरोक्तानुसार
96					479	0.013	उपरोक्तानुसार
97					482	0.013	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Authorised Signatory

98					484	0.033	उपरोक्तानुसार
99					490	0.023	उपरोक्तानुसार
100					492	0.020	उपरोक्तानुसार
101					499	0.347	उपरोक्तानुसार
102					507	0.033	उपरोक्तानुसार
103					511	0.051	उपरोक्तानुसार
104					517	0.038	उपरोक्तानुसार
105					518	0.018	उपरोक्तानुसार
106					523	0.017	उपरोक्तानुसार
107					527	0.035	उपरोक्तानुसार
108					528	0.036	उपरोक्तानुसार
109					538	0.027	उपरोक्तानुसार
110					540	0.004	उपरोक्तानुसार
111					541	0.026	उपरोक्तानुसार
112					545	0.916	उपरोक्तानुसार
113					548	0.076	उपरोक्तानुसार
114					551	0.010	उपरोक्तानुसार
115					554	0.013	उपरोक्तानुसार
116					557	0.038	उपरोक्तानुसार
117					559	0.430	उपरोक्तानुसार
118					561	0.092	उपरोक्तानुसार
119					562	0.089	उपरोक्तानुसार
120					564 स	0.114	उपरोक्तानुसार
121					582	0.063	उपरोक्तानुसार
122					582 स	0.063	उपरोक्तानुसार
123					584 स	0.253	उपरोक्तानुसार
124					589	0.104	उपरोक्तानुसार
125					590	0.040	उपरोक्तानुसार
126					597	0.025	उपरोक्तानुसार
127					602	1.417	उपरोक्तानुसार
128					606	0.304	उपरोक्तानुसार
129					502/611	0.006	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	129 गाटा	**27.805**	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हसनपुर खेवली	16	0.020	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd
Authorised Signator

							हेतु।
2					38 पी	0.050	उपरोक्तानुसार
3					50	0.035	उपरोक्तानुसार
4					52	0.925	उपरोक्तानुसार
5					87	0.316	उपरोक्तानुसार
6					88	0.443	उपरोक्तानुसार
7					89	0.139	उपरोक्तानुसार
8					91	0.392	उपरोक्तानुसार
9					92	0.038	उपरोक्तानुसार
10					93	0.557	उपरोक्तानुसार
11					98	0.253	उपरोक्तानुसार
12					100	0.114	उपरोक्तानुसार
13					102	0.032	उपरोक्तानुसार
14					111	0.052	उपरोक्तानुसार
15					118	0.032	उपरोक्तानुसार
16					124	0.139	उपरोक्तानुसार
17					125	0.152	उपरोक्तानुसार
18					136	0.021	उपरोक्तानुसार
19					141	0.025	उपरोक्तानुसार
20					144	0.582	उपरोक्तानुसार
21					146	0.493	उपरोक्तानुसार
22					149	0.021	उपरोक्तानुसार
23					152	0.017	उपरोक्तानुसार
24					198	0.487	उपरोक्तानुसार
25					201	0.029	उपरोक्तानुसार
26					203	0.013	उपरोक्तानुसार
27					208	0.253	उपरोक्तानुसार
28					212	0.559	उपरोक्तानुसार
29					213	0.200	उपरोक्तानुसार
30					240	0.607	उपरोक्तानुसार
31					241	0.126	उपरोक्तानुसार
32					242	0.139	उपरोक्तानुसार
33					248	0.038	उपरोक्तानुसार
34					251	0.025	उपरोक्तानुसार
35					254	0.177	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

36					257	0.126	उपरोक्तानुसार
37					270	0.204	उपरोक्तानुसार
38					271	0.316	उपरोक्तानुसार
39					273 पी	0.748	उपरोक्तानुसार
40					274	0.455	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	40 गाटा	**9.350**	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हरिहरपुर	512	0.999	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					513 पी	0.506	उपरोक्तानुसार
3					514	0.177	उपरोक्तानुसार
4					515	0.170	उपरोक्तानुसार
5					519	0.063	उपरोक्तानुसार
6					520	0.417	उपरोक्तानुसार
7					522 पी	0.108	उपरोक्तानुसार
8					523 पी	0.304	उपरोक्तानुसार
9					525	0.044	उपरोक्तानुसार
10					526	0.028	उपरोक्तानुसार
11					528	0.455	उपरोक्तानुसार
12					530	0.114	उपरोक्तानुसार
13					564	0.096	उपरोक्तानुसार
14					576	0.379	उपरोक्तानुसार
15					581	0.031	उपरोक्तानुसार
16					595 पी	0.253	उपरोक्तानुसार
17					599	0.089	उपरोक्तानुसार
18					611	0.246	उपरोक्तानुसार
19					618	1.000	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	19 गाटा	**5.479**	

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 25.771 हेक्टेयर, ग्राम–देवामऊ व ग्राम–युसुफनगर बगियामउ व ग्राम–निजामपुर मझिगंवा परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0–35,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0–9,01,98,500/– होता है तथा ग्राम–मुजफ्फरनगर घुसवल व ग्राम–हसनपुर खेवली परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 37.155 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम अर्द्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0–56,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0–20,80,68,000/– होता है व ग्राम–हरिहरपुर परगना–बिजनौर तहसील

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd
Authorised Signator

व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.479 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0–65,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0–3,56,13,500/– होता है। इस प्रकार कुल मूल्यांकन रू0–33,38,80,000/– होता है। चूकिं इस विलेख में नजराने की धनराशि रू0–26,02,37,002/– (छब्बीस करोड दो लाख सैंतीस हजार दो रूपये) व 1 वर्ष का लीज रेन्ट रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) सहित कुल धनराशि रू0–26,07,50,043/– अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रू0–33,38,80,000/– पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रू0–2,33,71,600/– का स्टाम्प शुल्क देय होता है फलस्वरूप रू0–2,33,75,000/– का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर दिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या–1160(1)/8–3–12–122एल0ए0/09 दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अधिकृत श्री अष्टभुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री सुशील कुमार सक्सेना बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये है जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी है।

साक्षीगण :

1. ह0 [signature]

नाम समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम श्री चन्द्र भान प्रताप सिंह

पता 13, राना प्रताप मार्ग, हजरतगंज लखनऊ

[signature]
(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
पट्टाकर्ता की ओर से
एवं उसके द्वारा अधिकृत

2. ह0 [signature]

नाम Birendra Pratap Singh

पिता का नाम Late Sri G. P. Singh

पता 13. Rana Pratap Marg Lucknow

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd
[signature]
Authorised Signatory
पट्टेदार की ओर से
एवं उसके द्वारा अधिकृत

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

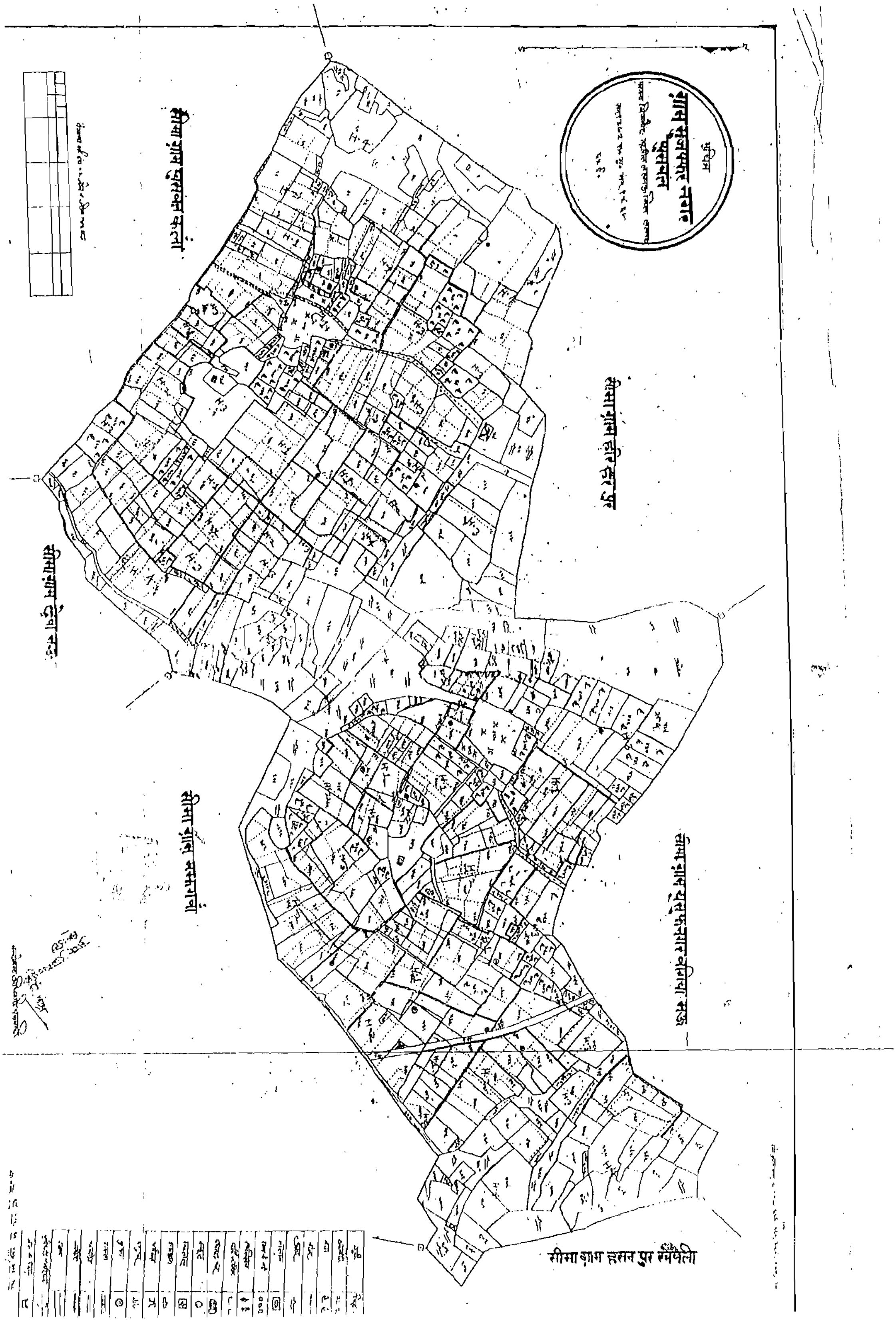

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd

Authorised Signatory

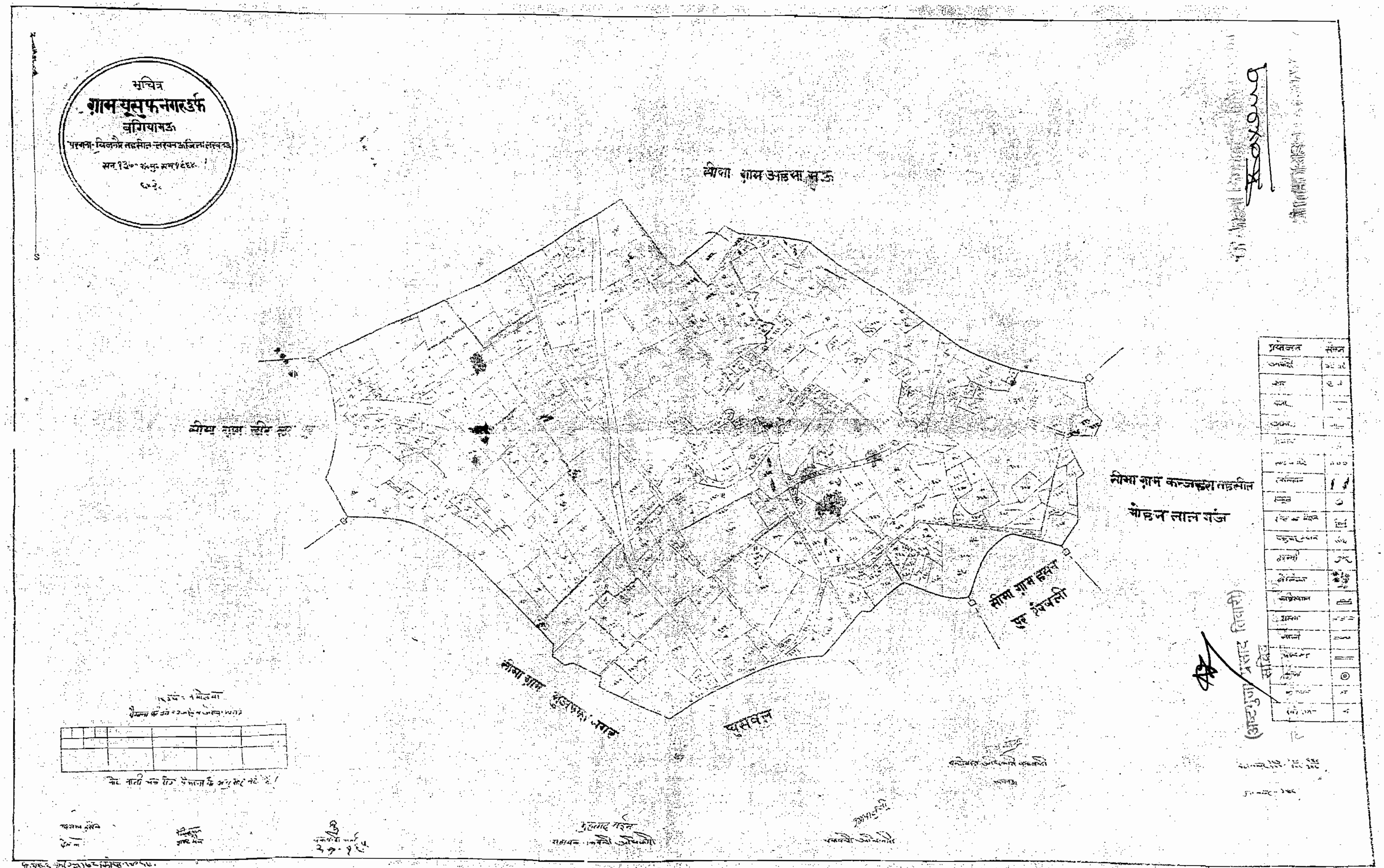
भूचित्र
ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ
सीमा ग्राम अहमामऊ
मोहन लाल गंज
(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव

पट्टा विलेख 10000/- (30वर्ष) 10040/-

26,07,50,043/= 513,048.00 ~~20.00~~ 40 ~~60.00~~ 2,000

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	26,07,50,043/=	513,048.00	10000/- (~~20.00~~)	40	10040/- (~~60.00~~)	2,000

श्री लo विo प्राo द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री आरo एसo कटियार

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी लo विo प्राo लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/7/2013 समय 3:19PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बीoसीo सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
31/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्री लo विo प्राo द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार
पुत्र श्री आरo एसo कटियार
पेशा नौकरी
निवासी लo विo प्राo लखनऊ

पट्टा गृहीता

श्री मेoअन्सल प्राo एo इन्फ्रास, लिo द्वारा सुशील कुमार सक्सेना
पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना
पेशा नौकरी
निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह
पुत्र श्री स्वo गंगापाल सिह
पेशा नौकरी
निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

व श्री समरेन्द्र प्रताप सिह
पुत्र श्री चन्द्र भान प्रताप सिंह
पेशा नौकरी
निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बीoसीo सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
31/7/2013

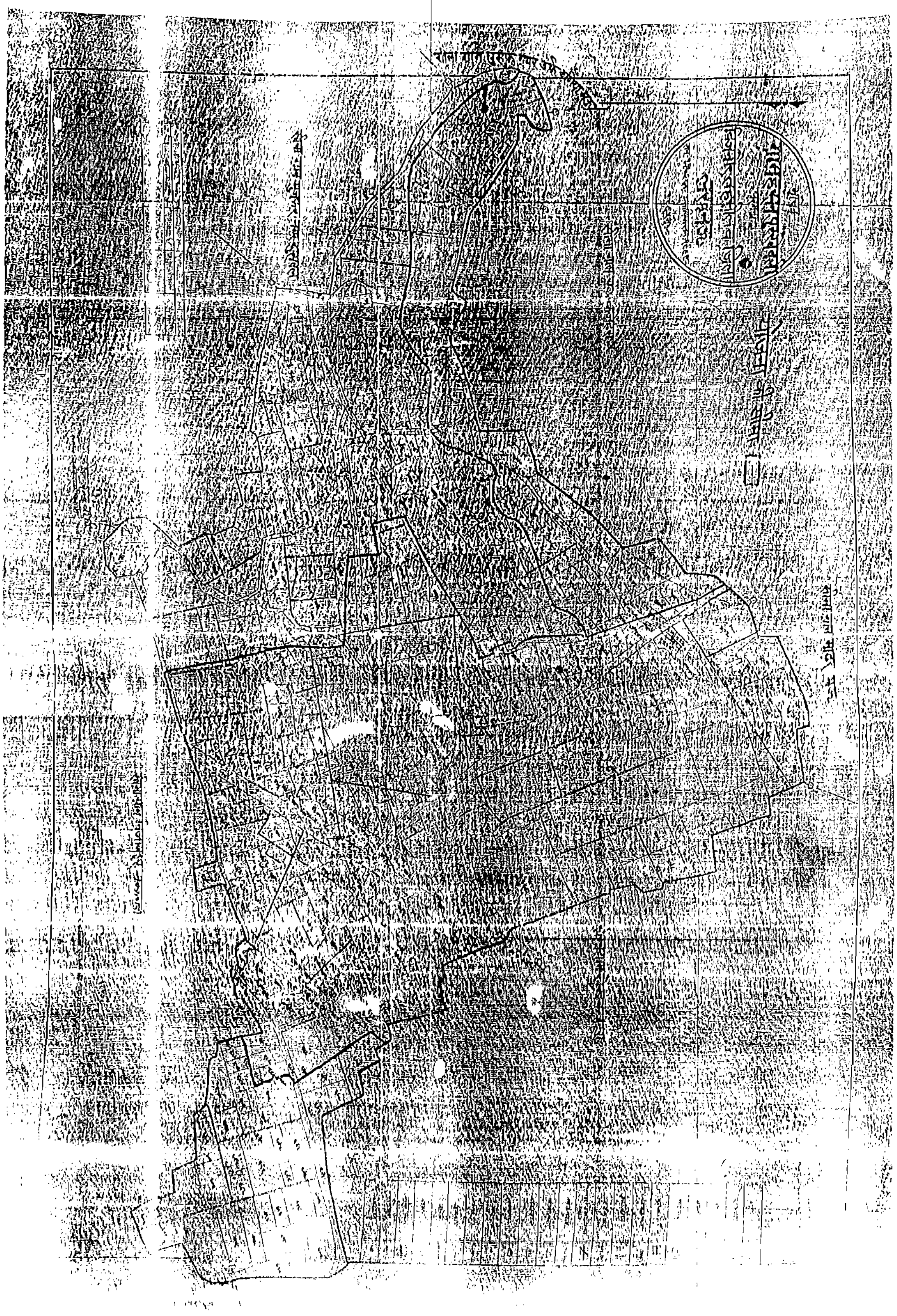

For Ansal Properties & Infrastructure Lt

Authorised Signator

पट्टा गृहीता

Registration No. : 14746 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 **मे0अन्सल प्रा0 ए0 इन्फ्रास, लि0 द्वारा सुशील कुमार सक्सेना**

शिव गोपाल सक्सेना

13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

नौकरी

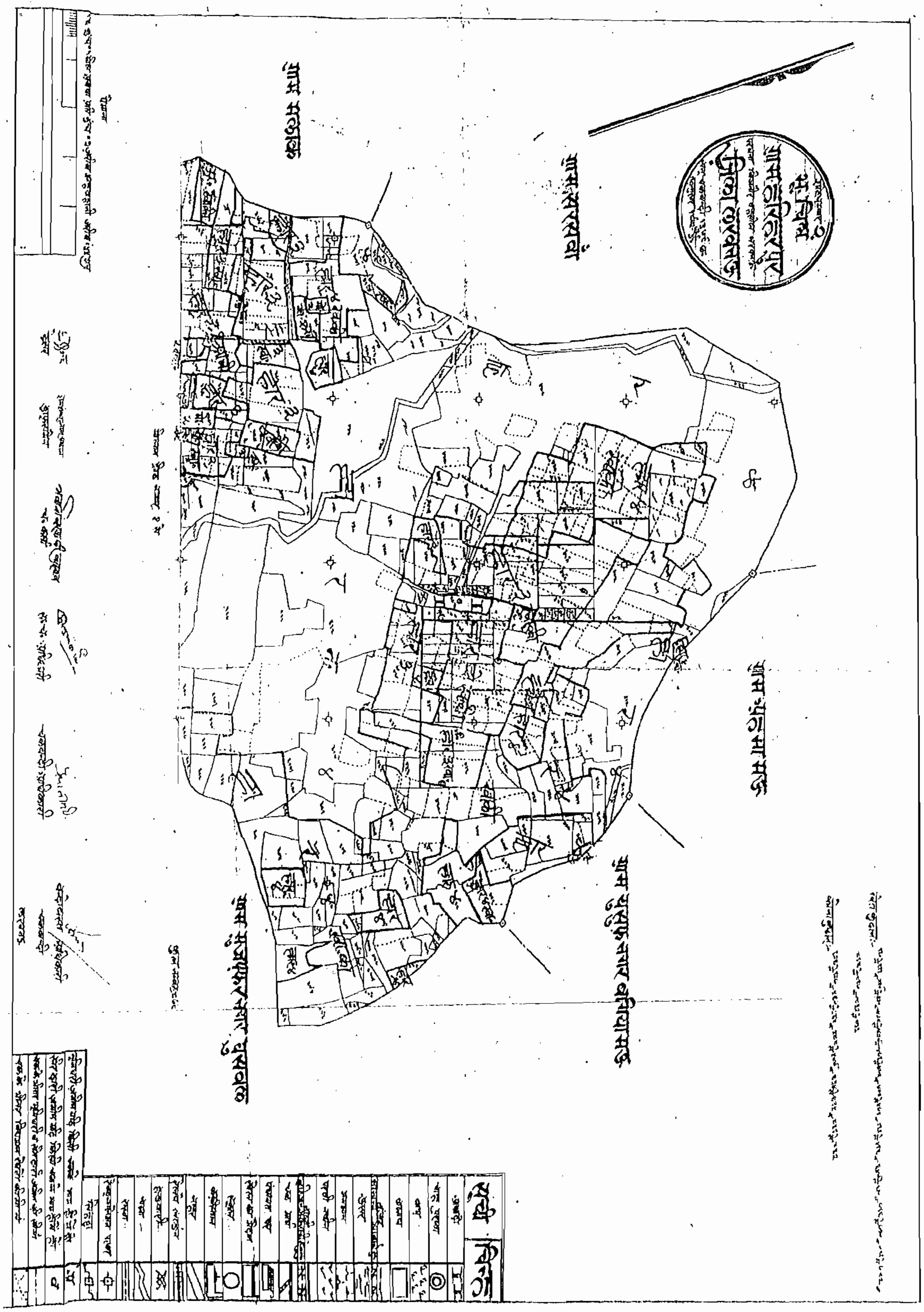

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd

Authorised Signator

पट्टा दाता

Registration No.: 14746 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 **ल0 वि0 प्रा0 द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार**

आर0 एस0 कटियार

ल0 वि0 प्रा0 लखनऊ

नौकरी

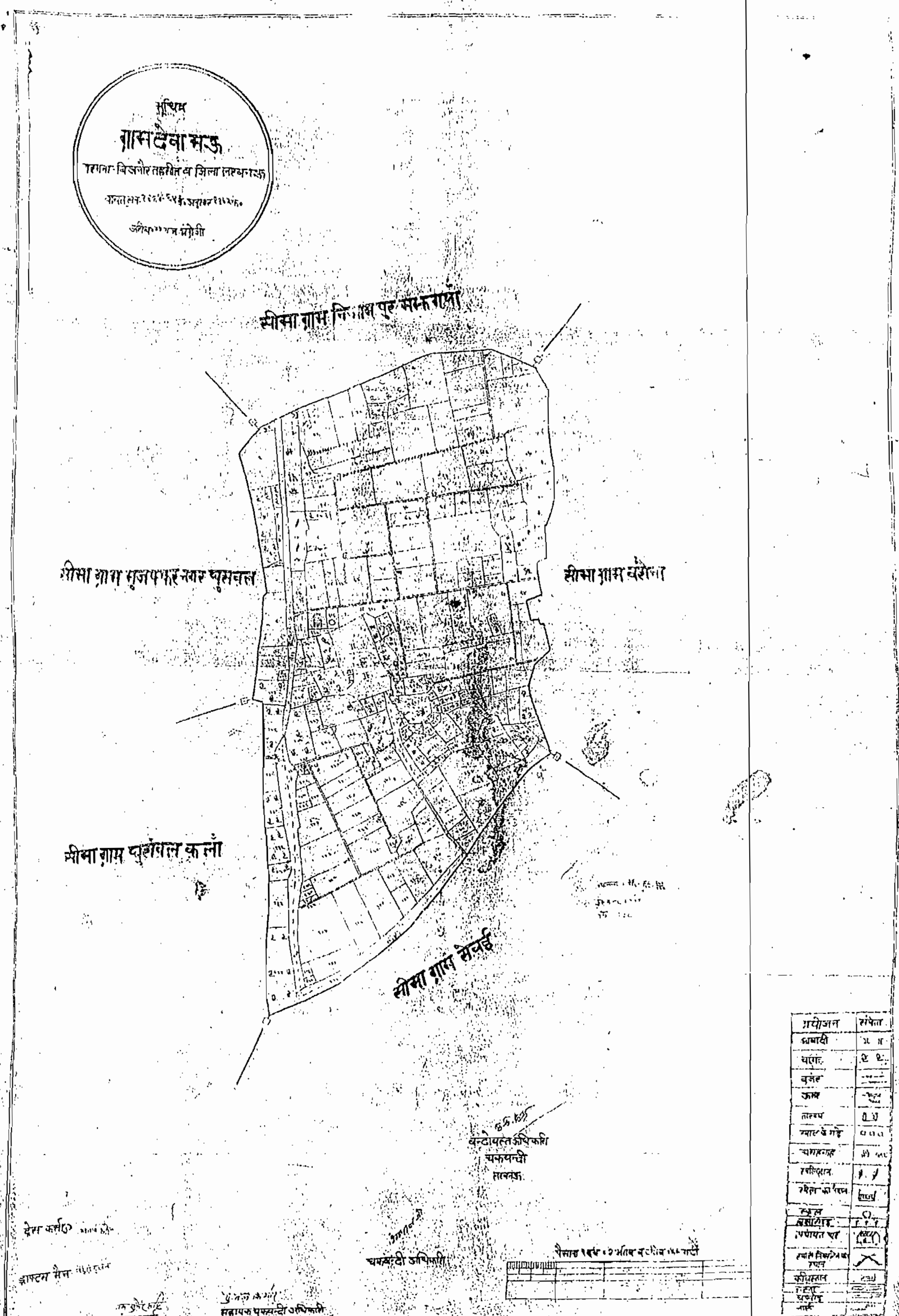

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव

For Ansal Properties & Infrastructure

Authorised Signatory

आज दिनांक **31/07/2013** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **16077**

पृष्ठ सं. **67** से **112** पर क्रमांक **14746**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0सी0 सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
31/7/2013